राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
शासन सचिवालय जयपुर
(दूरभाष नं. 0141–2227229, ईमेल आईडी : pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक प.2(3)/ग्रावि/अनुभाग–8/2015 जयपुर, दिनांक :– 0 9 AUG 2019

"बैठक कार्यवाही विवरण"

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 09–10 जून 2019 को सिरोही, जालौर, पाली जिले तथा पंचायती समिति रानीवाड़ा में समीक्षा तथा पंचायत समिति भीनमाल में कार्यों का निरीक्षण किया। उक्त भ्रमण के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, अन्य विभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी रहे।

उक्त भ्रमण के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा तीनों जिला मुख्यालय पर तथा पंचायत समिति रानीवाड़ा मुख्यालय पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

सिरोही – दिनांक 09.06.2019

सिरोही जिला मुख्यालय पर अपरान्ह 3:00 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रावि एवं पं.राज विभाग के साथ–साथ जिला सिरोही में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की–

जिला सिरोही:– जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जिले का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रमुख समस्याओं व मुद्दों से अवगत करवाया गया। जिले में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल आपूर्ति के सुचारू संचालन हेतु कार्य योजना से अवगत करवाया गया। जिले के 6 शहरी क्षेत्रों में से सिरोही व आबूपर्वत में 72 घंटे व शेष 4 शहरी क्षेत्रों (शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, सरूपगंज) मे 48 घंटे के अंतराल से पेयजल सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 54 गावों में पाईप्ड योजना, 19 गावों में पम्प एण्ड टैंक, 12 गावों में स्वजल धारा, 129 गावों में जनता जल योजना व 178 गांवों में हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति संचालित है। कमी वाले सिरोही शहर में 5 टैंकर व 70 गावों में 84 टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किये जाने से अवगत कराया।

- जिला कलक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों 20–22 घंटे, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे एवं कृषि हेतु 6–7 घंटे के ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल आपूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने हेतु निर्देश दिये। जिले में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शनों की प्रगति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाऐं:–

- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही ने विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में

पॉवर पाईन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी एवं निम्नानुसार जन समस्याओं से संबंधित राज्य स्तर पर लम्बित प्रकरणों के बारे में अवगत करवाया :–

1. बत्तीसा नाला डूब क्षैत्र में आने वाली सड़को के वैकल्पिक मार्गो के प्रस्ताव।
2. रेवदर एवं मण्डार के बाय पास सड़क।
3. आवल से मावल सड़क।
4. गुलाबगंज से माउण्ट आबू सड़क।

- उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लम्बित प्रकरणों के संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
- बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों द्वारा सावर्जनिक निर्माण विभाग की सडकों पर अतिक्रमण के सम्बंध में अवगत करवाने पर उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इन अतिक्रमणों को जल्द से जल्द हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधिगणों द्वारा सावर्जनिक निर्माण विभाग के स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करवानें के अनुरोध पर उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि स्वीकृत कार्यों को अतिशीध्र प्रारम्भ करवाया जायेगा।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देकर रूके हुये कार्यों को जल्द से जल्द प्रारम्भ करावें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाऐं:–

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के सम्बंध में श्रमिकों द्वारा 100 दिवस पूर्ण करने, श्रमिकों के नियोजन एवं समय पर भुगतान के संदर्भ में पॉवर पोईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी। जिले में 100 दिवसीय कार्ययोजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य 648 कार्य के विपरीत 648 कार्य स्वीकृत एवं 505 कार्य प्रगतिरत होने पर उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।
- जिले में वर्तमान में नरेगा में समस्त 162 ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत एवं श्रमिक नियोजन तथा जिले में 48480 श्रमिक नियोजन पर संतोष व्यक्त किया गया।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में ''**काम मांगो विशेष अभियान**'' के पूर्व सामान्यतः 25000 श्रमिकों का नियोजन होता था, परन्तु अभियान पश्चात जिले में श्रमिक द्वारा आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त श्रमिक नियोजन 50000 से अधिक हुआ, जो आज दिनांक तक जारी है। वर्ष 2018–19 में माह अप्रेल–21035, मई–6365 तथा जून में 25508 श्रमिक का नियोजन हुआ जब कि वर्ष 2019–20 में अप्रेल–49458, मई–52517 तथा जून 48480 श्रमिक का नियोजन हुआ। श्रमिक के समय पर भुगतान की प्रगति T+8 एवं T+15 द्वारा समीक्षा की जाती है। यदि श्रमिक भुगतान 15 दिवस से अधिक समय में होता है तो विलम्ब भुगतान में आता है।
- जिले का T+15 में समय पर भुगतान की प्रगति 99.85% तथा T+8 में 77.62% होने से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने गहरा असंतोष व्यक्त किया एवं T+8 में ही भुगतान 100% करने हेतु निर्देशित किया।
- इस बाबत् पंचायत समिति वार समीक्षा करने पर पाया गया कि पंचायत समिति रेवदर–46.15% तथा आबूरोड–65.20% होने पर उप मुख्यमंत्री महोदय ने गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए दोनो विकास

अधिकारियों को 30 जून तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु पाबन्द करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि स्थिति में सुधार नही आता है तो दोनो विकास अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु पाबन्द किया।

- समीक्षा के दौरान जिले की औसत मजदूरी 119/– रूपये पर उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिले की औसत मजदूरी बहुत कम है। उन्होनें समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान दर 185/–रूपये तक करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं निर्देश दिए गए कि भुगतान दर कम वाले क्षेत्रों के सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
- अन्य बिन्दुओं पर जिले में चल रही महात्मा गांधी नरेगा योजना पर संतोष व्यक्त किया गया।
- बैठक में जनप्रतिनिधिगणों द्वारा अवगत करवाया गया कि महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थलों पर निर्धारित सुविधाओं का अभाव रहता है, जिसमें श्रमिकों विशेषतः महिलाओं को काफी परेशानी रहती है। उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर को निर्देश दिए गए कि वे समस्त महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर निर्धारित सुविधाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- बैठंक में जनप्रनिधि द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि कार्य स्थलों पर फर्जी हाजरी के कारण कार्य करने वाले श्रमिकों को सही रेट नहीं मिलने से उनमें महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के प्रति उदासीनता रहती हैं। उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाकर समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्य स्थल पर फर्जी हाजरी को रोकने हेतु पुख्ता प्रबंध करें, ताकि श्रमिकों को सही भुगतान मिल सके। निर्देश दिए गए कि समस्त अधिकारी नियमित भ्रमण कर महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देवें।
- उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना, स्वविवेक विकास योजना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैंनेजमेन्ट, राज्य वित्त आयोग (पंचम), चौहदवां वित्त आयोग, किसान सेवा केन्द्र भवन निर्माण, आंगनवाडी भवन निर्माण केन्द्र योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी नवीन योजना एवं कार्यक्रम से जनप्रतिनिधियों को अवगत करावें एवं उनका पूर्ण सहयोग लिया जावें। विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन शत–प्रतिशत करने एवं योजनाओं की क्रियान्विति में किसी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्देश दिये गये कि अधिकारी बैठकों एवं भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर आमजन में जागरूकता पैदा करें, ताकि लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जा सके।
- बैठक के अन्त में उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 100 दिवसीय कार्ययोजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्यों के अनुरुप कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करें।
- जिला मुख्यालय सिरोही पर समीक्षा बैठक के पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जालौर जिले की पंचायत समिति रानीवाड़ा के डाक बंगले में पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक के दौरान राज्य स्तरीय अधिकारी,

जालौर जिले के जिला स्तरीय एवं पंचायत समिति स्तरीय कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जालोर – दिनांकः 10 जून, 2019

जालौर जिला मुख्यालय पर प्रातः 11:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ–साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान श्री भंवर सिंह भाटी, माननीय जिला प्रभारी मंत्री तथा श्री सुखराम विश्नोई, माननीय राज्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान सरकार भी उपस्थिति थे। जिला स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रावि एवं पं.राज विभाग, अन्य राज्य स्तरीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

- माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, निम्नानुसार कार्यवाही करने के निदेश प्रदान किये गये :–

क्र. स.	संबंधित योजना / विभाग	चर्चा का विवरण एवं प्रदत्त निर्देश	पालनकर्ता विभाग / अधिकारी
1	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	1– गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी कस्बों एवं गांवों में आवश्यकतानुरूप टैंकरों से पेयजल सप्लाई करने के निर्देश प्रदान किये गये। 2– जो आर.ओ. प्लान्ट खराब पड़े हैं उनकी कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।	अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी, जालोर
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	1– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत, कितना कार्य हुआ तथा कितना कार्य नहीं हुआ इसकी पूरे जिले की ऑडिट कराए जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम, जालोर
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1– राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के जालोर भाहर में प्रवेश से पूर्व रेलवे समपार संख्या सी–48 पर आर.ओ.बी. का निर्माण प्राथमिकता से कराए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। 2–भारतमाला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि के उचित मुआवजे हेतु नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। 3– नेशनल हाईवे–325 पर नरसाना गांव से भंवरानी सड़क के लिए कट बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गये। 4– नेशनल हाईवे–325 पर जवाई नदी पर ब्रिज बनने के कारण सरदारगढ गांव की एप्रोच नहीं जुड पा रही हैं जिसके लिये नशनल हाईवे ऑथोरिटी को ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गये।	अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., जालोर

4	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	1— महात्मागांधी नरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने पर मिलने वाले अतिरिक्त फायदों को सरल भाषा में जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में सहजदृश्य स्थानों पर बोर्ड लगाकर उन पर अंकन करवाने एवं प्रचार प्रसार करने के निर्देश प्रदान किये गये। 2— महात्मागांधी नरेगा योजना में कार्यस्थलों पर मजदूरों के लिए छाया, पानी तथा दवाई इत्यादि की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किये गये। 3— सांचौर, चितलवाना में ग्रेवल सडक निर्माण हेतु ग्रेवल की लीड (Lead) बी.एस.आर. की पुनः समीक्षा के निर्देश दिये। 4— पंचायत समिति रानीवाडा व चितलवाना में, श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान T+8 दिवस की समयावधि में नहीं करने पर जांच करवाई जाकर कार्यवाही के निर्देश दिये। 5— जिले में नरेगा श्रमिकों की प्रतिदिन औसत मजदूरी 130/— रूपये की जो कम हैं इसे बढाये जाने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाई जाकर कार्य कराये जावे।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर

पाली — दिनांक 10.06.2019

पाली जिला मुख्यालय पर अपरान्ह 3:00 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में माननीय श्री सुखराम विश्नोई, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री महोदय, माननीय श्री भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, श्री पेमाराम सीरवी, जिला प्रमुख महोदय पाली, श्री ज्ञानचन्द पारख, विधायक महोदय, पाली एवं श्रीमती शोभा चौहान, विधायक महोदया, सोजत भी उपस्थित रही। अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, अति. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, संभागीय आयुक्त, जोधपुर, राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए।

- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिले में पेयजल की स्थिति की जानकारी चाही जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया किः—

1. मानसून 2018 के अत्यन्त कमजोर रहने के कारण इस वर्ष बांधों में जल उपलब्धता बहुत कम रही। पाली जिले की पेयजल व्यवस्था मुख्यतः जवाई—हेमावास बांध पर निर्भर है।
2. पेयजल के मुख्य स्रोत जवाई बांध में तत्समय जल मांग के अनुसार मात्र 15 अप्रैल तक का ही जल उपलब्ध था। ग्रीष्मऋतु में जवाई बांध से जलापूर्ति बनाए रखने हेतु दिनांक 05.10.2018 से पूरे जिले में जलापूर्ति अन्तराल 48 घण्टे से बढाकर 72 घण्टे कर दिया गया है।
3. वर्तमान में दिनांक 07.06.2019 को जवाई बांध में 12.10 फीट गेज पर क्षमता 867.40 एमसीएफटी पानी उपलब्ध है, जिसमें से डेड स्टोरेज 598 एमसीएफटी कम कर 269.40 एमसीएफटी पानी शेष है। वर्तमान पेयजल व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध जल मात्रा से जून माह तक जलापूर्ति सुचारू

रह सकेगी। तत्पश्चात मानसून की आवक तक डेड स्टेरेज पम्पिंग द्वारा लगभग 1 माह (जुलाई 2019) हेतु आंशिक जलापूर्ति की जा सकेगी।

- अप्रैल माह से जल मांग बढने पर इस जलापूर्ति से अन्तिम छोर के ग्रामों में जलापूर्ति में आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान मे 123 ग्राम एवं 130 ढाणियों में कुल 393 ट्रीप द्वारा पेयजल परिवहन किया जा रहा है।
- कन्टीजेन्सी प्रस्ताव कुल राशि रू. 594.48 लाख ग्रामीण क्षेत्रो हेतु व राशि रू. 254.60 लाख शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किये गये है, जिसके अन्तर्गत 42 नलकूप, 01 खुला कुआं, 48.67 कि.मी. पाईप लाईन एवं 30 स्रोत विकास कार्य किया जाकर आम जन को पेयजल से लाभान्वित किया जा रहा है।
- माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधिगणों से पेजयल के संबंध में उन्हें भी अपनी बात रखने का कहा।
- श्री ज्ञानचन्द पारख विधायक महोदय द्वारा रोहट क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत का जिक्र किया जिस पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि रोहट में पानी की कमी होने के कारण टेंकरों से पानी वितरित किया जा रहा है। इस पर विधायक महोदय द्वारा बताया कि रोहट क्षेत्र में राहगीरों से ज्यादा लावारिस पशुधन है जिनके लिये भी पानी आवश्यक है। इस कारण टेंकर बढाये जाये।
- जिला कलक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 1500 हैण्डपम्प जो पीएचईडी व पंचायती राज विभाग के है उनको ठीक करवाने का कार्य किया जा रहा है।
- सोजत विधायक महोदया श्रीमती शोभा चौहान द्वारा भी सोजत में पानी की कमी का हवाला देते हुए टेंकर बढाने का अनुरोध किया।
- इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बताया कि वर्तमान में जहां भी गये है वहां पानी ही पानी की समस्या है फिर भी राज्य सरकार पीने के पानी की हर सम्भव आपूर्ति करने हेतु कटिबद्व है। उन्होने जिला कलक्टर को यथासम्भव पानी के टैंकर बढाने एवं जन सहायोग लिया जाकर पानी की आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये गये।
- जिला कलक्टर महोदय द्वारा जिले में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के संबंध में जवाई पुनर्भरण योजना के बारे में जानकारी देने पर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस योजना की पूर्ण जानकारी चाही गई जिस पर कलेक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि साबरमती बेसिन के अधिशेष पानी को जवाई बांध में अपवर्तित करने हेतु जवाई पुनर्भरण योजना अन्तर्गत डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य भारत सरकार के संस्थान WAPCOS द्वारा प्रगतिरत है। जवाई बांध की औसत 3500 Mcft की जल आवक में कमी को पूरा किया जा सकेगा। योजना अन्तर्गत उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में विभिन्न नदियों पर कुल चार बांध बनाकर पाईपलाईन एवं सुरंग के माध्यम से पानी पाली जिले के नाणा गांव के पास जवाई नदी में छोड़ा जायेगा। सम्पूर्ण योजना अन्तर्गत कुल 6400 Mcft पानी का अपवर्तन जवाई बांध में किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 5400 Mcft पानी पाली जिले एवं 1000 Mcft पानी सिरोही जिले के लिये पेयजल हेतु आरक्षित है। प्रथम चरण में साबरमती नदी पर बांध (भराव क्षमता 8154 Mcft) एवं सेई नदी पर बांध (भराव क्षमता 6910 Mcft) बनाये जायेंगे। इन बांधों के पानी को तीन सुरंग कुल लम्बाई 18.46 कि.मी. एवं 49.87 कि.मी. पाईपलाईन के माध्यम से औसतन 4329 Mcft पानी जवाई बांध में अपवर्तित किया जायेगा। इसकी

अनुमानित लागत 3863.09 करोड़ आंकी गई है। प्रथम चरण की डी.पी.आर. आई.डी.एण्ड.आर. युनिट में तकनीकी जांच हेतु प्रक्रियाधीन है। द्वितीय चरण में वांकल नदी पर बांध (भराव क्षमता 10128 Mcft) एवं पामेरी नदी पर बांध (भराव क्षमता 4724 Mcft) बनाकर 7.50 कि.मी. सुरंग एवं 16.00 कि. मी. पाईपलाईन के माध्यम से साबरमती बांध में लाया जायेगा। इससे औसतन 2517 Mcft पानी उपलब्ध होगा। इसकी अनुमानित लागत 2734.80 करोड़ रूपये आयेगी। द्वितीय चरण में वन्य जीव अभ्यारण व वन भूमि प्रभावित होगी। द्वितीय चरण में वांकल नदी पर बनने वाले बांध स्थल के वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र मे आने के कारण अनुमति प्रक्रियाधीन है।

- तत्पश्चात् माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिले में बिजली आपूर्ति के बारे में जानकारी चाहने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व आंधी तूफान आने के कारण 8–10 दिन विद्युत आपूर्ति में कमी रही इसके पश्चात् विद्युत आपूर्ति पूर्णतया संतोषजनक है। जिसकी बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों द्वारा पुष्टि की गई।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा में सर्वप्रथम महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में जानकारी चाही जाने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि :–
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले में पिछले वर्ष 7 जून को 28000 श्रमिक लगे हुए थे जो वर्तमान में इनकी संख्या 130000 है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मैनडेज की संख्या 5.00 लाख थी जो इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33000 है।
- डिले पेमेन्ट में टी–15 में जिले की स्थिति शून्य है तथा टी–8 में 97 प्रतिशत है। समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।
- जिले में वर्तमान में वेज रेट 134 आ रही है, जो गत वर्ष 124 थी जिसे बढाकर पहले 126 अब 134 हो रही है जिसे बढाने हेतु मेटों के गहन प्रशिक्षण आदि का कार्य किया जा रहा है।
- जिले में वर्तमान में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, जिनमें कोई कार्य नहीं चल रहा है। जिले में इस वित्तीय वर्ष में 100 दिन पूर्ण करने वालों की संख्या 1 है।
- 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत जिले में चारागाह विकास के 410 कार्य, खेल मैदान के 186 कार्य स्वीकृत किये गये है।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कार्य स्थलों पर छाया, पानी आदि की पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी चाही जाने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा योजनान्तर्गत कार्य स्थलों पर छाया, पानी की पूर्ण व्यवस्था होने पर एवं पखवाडे में ए.एन.एम. द्वारा एक बार साईट पर जाने व चिकित्सीय जांच व दवाई वितरण की जानकारी दी गई।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिले में वेज रेट बढाने के लिये मेटों के गहन प्रशिक्षण किये जाकर वेज रेट बढाई जाने के प्रयास के निर्देश दिये गये।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उपस्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा नेशनल हाईवे, आर.एस.एल.डी.सी., पी.पी.पी. योजना के अधिकारियों द्वारा अपनी–अपनी कार्य योजनाओं एवं उनके प्रगतिरत कार्यों एवं अप्रारम्भ कार्यों की जानकारी से सदन को अवगत कराया गया।

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के 29 अपूर्ण तथा 5 अप्रारम्भ कार्यों की जानकारी देने पर 5 अप्रारम्भ कार्यों के अप्रारम्भ रहने की कारणों की जानकारी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चाही जाने पर अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य एक ठेकेदार के पास अधिक कार्यों की संख्या होने के कारण पूर्व के कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् शेष कार्य प्रारम्भ होना बताये जाने पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा कार्यों के प्रारम्भ होने एवं पूर्ण होने में अनावश्यक विलंब न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये गये।
- आरएसएलडीसी के कार्यों की विभाग के अधिकारी द्वारा जानकारी दी जाने पर कार्यों का विस्तृत विवरण नहीं होने से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक में कार्यों का पूर्ण विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अपूर्ण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने तथा अप्रारम्भ कार्यों को भी समय पर प्रारम्भ कर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
- माननीय विधायक महोदय पाली श्री ज्ञानचंद पारख द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत नाम जुडवाने व अन्य व्यक्तिगत योजनाओं पेंशन आदि के आवेदनों के प्रार्थना पत्र 1.1.19 से पंचायत समिति स्तर पर जांच नहीं होने से लंबित होने बताये गये। जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों की जांच कर निस्तारण करने के निर्देश जिला कलक्टर महोदय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिये गये।
- जिला कलक्टर द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को जिले में पाली शहर में स्थित औद्योगिक ईकाईयों से निकलने वाला प्रदूर्षित जल से बांडी नदी में बहने से प्रदूषण की समस्या भी होना बताया गया।
- उन्हौनें बताया कि इस संबंध में एन.जी.टी. के निर्देश प्राप्त हुए है जिसकी पालना करवाई जा रही है।
- रीको के अधिकारी से जानकारी चाही जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में अनुदान की राशि स्वीकृत हुई थी किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया है।
- उन्हौनें अवगत कराया गया कि शहर के स्थानीय उद्यमी द्वारा अपने उद्योग में अपने स्तर पर कम लागत में प्लांट लगाया गया है जिसका प्रयोग अगर सफल होता है तो अन्य उद्यमी भी इसका प्रयोग करेंगें तो इस समस्या का कुछ समाधान सम्भव हो सकेगा।
- माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एन.जी.टी. के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को, राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान करते हुए बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

07/08/19

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पर्यावरण विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
6. जिला प्रमुख, जिला परिषद, पाली / सिरोही / जालौर।
7. श्री ज्ञानचन्द पारख, विधायक महोदय, पाली।
8. श्रीमती शोभा चौहान, विधायक महोदया, सोजत।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
8. जिला कलेक्टर, सिरोही / जालौर / पाली।
9. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी / मोएवंमू।
10. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (LP & SHG),राजीविका।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
12. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
13. अधीक्षण अभियंता, ग्रावि।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालौर / पाली / सिरोही।
15. एसीपी / प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

07/08/19

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)